कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

//निविदा आमंत्रण सूचना//

पायलॉन बोर्ड स्थापित व विज्ञापन करने हेतु

क्रमांक 2633 /भ.नि.अ.प./न.पा.नि./2020 रायपुर दिनांक 05/02/2020

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम रायपुर सीमा क्षेत्र के रोड डिवाईडरों में 03 वर्ष के लिए, पायलॉन बोर्ड (साईज **6'x3'**) स्थापित करने व विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/एजेन्सी/फर्म/कंपनी, जो नगर निगम रायपुर में विज्ञापन एजेंसी के रूप में पंजीकृत हो, से अधिकतम दर प्राप्त करने सील बंद लिफाफे में **दिनांक** 24/02/... को **अपरान्ह 5.00 बजे** तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार एजेंसी का नगर निगम रायपुर क्षेत्र में लगाये गये निजी बोर्डो का कोई बकाया नहीं होना चाहिए, इस संबंध में एजेंसी को बकाया नहीं होने का स्वप्रमाणित पत्र जमा करना होगा। निविदा द्वि लिफाफा पद्धति में रहेगी, जिसके अन्तर्गत **लिफाफा 'अ' में** (1) अमानत राशि का FDR/DD, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति एवं (7) बकाया नहीं होने संबंधी स्वप्रमाणित पत्र। **लिफाफा 'ब' में** निविदा दर डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। निविदादर में कांट-छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा। लिफाफा 'अ' में अमानत राशि का FDR/DD, निविदा प्रपत्र का डी.डी. व एवं विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन व आयकर रिटर्न की छायाप्रति एवं किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होने संबंधी स्व प्रमाणित पत्र, पाये जाने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। निविदा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। निविदा दूसरे दिन उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधी के समक्ष **दिनांक** 24/02...**को अपरान्ह 5.00 बजे** को खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र नगर निगम के नवीन मुख्यालय (कार्यालय) भवन के नगर निवेश शाखा के रूम नं. 311 में जमा की जावेगी।

निविदा प्रपत्र मूल्य	एक हजार रूपयें, वापसी योग्य नहीं
ठेका अवधि	03 वर्ष
प्रस्तुत ऑफर की वैधता अवधि	90 दिन

क.	रोड डिवाईडर का नाम	लगाये जाने वाले पायलॉन बोर्डो संख्या	न्यूनतम आफसेट राशि (01 वर्ष)	अमानत राशि
1.	फाफाडीह चौक से देवेन्द्र नगर चौक होते हुए मेकाहारा के गेट के सामने (जहां स्काई वॉक का अंत होता है) तक	17	रू. 10,000/- प्रति पायलॉन अनुसार 1,70,000/-	45,000/-
2.	अम्बेडकर चौक (घड़ी चौक) से आनंद नगर टर्निंग चौक तक एवं गुरूद्वारा टर्निंग चौक से एक्सप्रेस-वे तक	56	रू. 10,000/- प्रति पायलॉन अनुसार 5,60,000/-	
3.	तेलीबांधा रोड में छोटी रेल्वे लाईन (एक्सप्रेस-वे) से तेलीबांधा थाना तक	16	रू. 10,000/- प्रति पायलॉन अनुसार 1,60,000/-	

टीपः-निविदा का विस्तृत विवरण नियम शर्ते एवं निविदा प्रपत्र नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamraipur.nic.in से डाऊनलोड किया जा सकता है। डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रू. 1000/- का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम, रायपुर

Scanned by CamScanner

निविदा प्रपत्र

प्रति,

नगर निवेशक,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– नगर निगम रायपुर क्षेत्रान्तर्गत के रोड डिवाईडरों में बी.ओ.टी. आधार पर पायलॉन बोर्ड (साईज 6'x3') लगाने व विज्ञापन प्रदर्शित करने बाबत्।

संदर्भ :– नगर निगम रायपुर द्वारा जारी निविदा क्र................जारी दिनांक ....।

–––000–––

क्र.	रोड डिवाईडर का नाम	लगाये जाने वाले पायलॉन बोर्डो संख्या	न्यूनतम आफसेट राशि (एक वर्ष)	निविदा दर प्रथम वर्ष के लिए (राशि रू. में)
1.	फाफाडीह चौक से देवेन्द्र नगर चौक होते हुए मेकाहारा के गेट के सामने (जहां स्काई वॉक का अंत होता है) तक	17	रू. 10,000/– प्रति पायलॉन अनुसार 1,70,000/–	
2.	अम्बेडकर चौक (घड़ी चौक) से आनंद नगर टर्निंग चौक तक एवं गुरूद्वारा टर्निंग चौक से एक्सप्रेस–वे तक	56	रू. 10,000/– प्रति पायलॉन अनुसार 5,60,000/–	
3.	तेलीबांधा रोड में छोटी रेल्वे लाईन (एक्सप्रेस–वे) से तेलीबांधा थाना तक	16	रू. 10,000/– प्रति पायलॉन अनुसार 1,60,000/–	

निविदा की समस्त शर्तो का हमारे द्वारा पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया गया है एवं सभी शर्ते हमें मंजूर है। **जिसके अनुसार निविदा दर में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि हमें स्वीकार है।** मैं यह भी घोषणा करता हूँ की मेरा या मेरी संस्था का नाम किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज नही है।

निविदाकर्ता एजेन्सी का नाम :–

हस्ताक्षर एवं पूर्ण नाम :–

पूर्ण पता :–

दूरभाष क्र. एवं मोबाइल क्र. :–

अमानति राशि रू. 45,000/– के एफ.डी.आर./DD का विवरण :–

Scanned by CamScanner

पायलॉन बोर्ड स्थापित करने व विज्ञापन करने हेतु आमंत्रित निविदा दिनांक 24/02/20 की शर्तें

1. निविदा द्वि–लिफाफा पद्धति से होगा। लिफाफा 'अ' (1) अमानत राशि का FDR/DD, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति एवं (7) किसी भी प्रकार का बकाया नहीं होने संबंधी स्वप्रमाणित पत्र रखना होगा। **लिफाफा 'ब'** में निविदा दर डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिखकर रखना होगा। निविदादर में कांट–छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा। **लिफाफा 'अ' में समस्त आवश्यक/वैध दस्तावेज पाये जाने पर ही लिफाफा 'ब' (निविदा दर का लिफाफा) खोला जायेगा।**
2. निविदा हेतु प्रत्येक निविदाकार को एक निविदा फार्म भरना होगा, जिसमें दोनों अलग–अलग मार्गो हेतु अलग–अलग निविदा दर भरना होगा। प्रत्येक मार्ग में जिस भी निविदाकार द्वारा अधिकतम् दर प्रस्तुत किया जायेगा, उसे सफल निविदाकार माना जायेगा अर्थात् दो अलग–अलग मार्ग हेतु दो सफल निविदाकार हो सकते है।
3. निविदा हेतु अमानती राशि रू. 45,000/– का डिमांड ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. के रूप में जो जीवित हो, आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से जमा करना होगा।
4. अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा एफ.डी.आर. को नियमानुसार सफल निविदाकार को कार्यादेश जारी होने के पश्चात् मुक्त किया जा सकेगा एवं सफल निविदाकार के एफ.डी.आर. को सफल संचालन एवं संधारण के साथ निविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत, नियमानुसार वापस किया जा सकेगा।
5. निविदा खोले जाने के समय स्वयं निविदाकर्ता अथवा उसका कोई एक प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकेगा। निविदाकर्ता का नाम किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए ।
6. **दर स्वीकृत होने की सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत हुए प्रथम वर्ष के किराया राशि का 30% राशि जमा करते हुए इकरारनामा करना होगा। इकरारनामा न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानती राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही नियमानुसार की जा सकेगी। निविदा अनुबंध करा लेने के बाद निविदाप्राप्तकर्ता एजेंसी को पृथक से कार्यादेश जारी किया जायेगा। कार्यादेश जारी दिनांक से एक माह की अवधि पायलॉन बोर्ड लगाने हेतु दी जायेगी, तत्पश्चात् अर्थात् कार्यादेश जारी दिनांक से एक माह पश्चात् किराया लागू माना जावेगा।**
7. अनुबंध 03 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 10 प्रतिशत की क्रमोत्तर वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायगा।
8. निविदा 03 वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है, परन्तु निविदा राशि निविदा प्रपत्र में एक वर्ष के लिए भरनी होगी। निविदा स्वीकार होने **दर स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर** अनुबंध के पूर्व स्वीकृत हुए प्रथम वर्ष के किराया का **30% राशि जमा करना अनिवार्य होगा तथा शेष राशि दर स्वीकृति की सूचना प्राप्ति दिनांक से 02 माह के भीतर जमा करना होगा। प्रत्येक आगामी वर्ष का किराया वर्ष प्रारंभ होने के 1 माह पूर्व वृद्धि सहित जमा करना होगा।** भुगतान तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर निगम को होगा। ऐसी स्थिति में समस्त सम्पत्तियों का मालिकाना हक नगर निगम का होगा।
9. निविदा 03 वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है तथा कार्य हेतु कार्यादेश भी 03 वर्ष के लिए जारी की जायेगी। अवधि समाप्ति पश्चात् दी गई अनुमति स्वमेव ही समाप्त हो जायेगी तथा अवधि समाप्त होने पर एजेंसी को स्वयं के व्यय पर पायलॉन बोर्ड हटाना होगा अन्यथा नगर निगम के द्वारा बोर्डो को जप्त कर लिया जायेगा।
10. यदि पायलॉन बोर्ड की संख्या/आकार किन्ही कारणों से बढ़ायी या घटायी जाती है, तो अनुपातिक ढंग से निविदा राशि की गणना की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ...... 02

Scanned by CamScanner

11. किन्ही कारणों से किसी रोड पर पायलॉन बोर्ड लगाने का कार्य निरस्त किया जाता है, तो अमानति राशि वापस की जायेगी, किन्तु सफल निविदाकार को किसी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
12. पायलॉन बोर्ड आई.एस.आई. धारक कंपनी/फर्म द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार होगा।
13. पायलॉन बोर्ड में विज्ञापन फलक 6'x3' साईज का लगाया जायेगा। विज्ञापन फलक की साईज किसी भी स्थिति में निर्धारित साईज (6'x3') से अधिक नहीं होना चाहिएं, **पायलॉन बोर्ड के दोनों फलक में विज्ञापन किया जा सकेगा।**
14. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पास सुरक्षित है।
15. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
16. पायलॉन बोर्ड आंधी–तूफान या अन्य किसी कारण से आंशिक या पूर्ण रूप से ध्वस्त होने से जन/धन की हानि होने पर एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं किसी भी नुकसान, हानि, क्षति की संपूर्ण भरपाई एजेंसी द्वारा ही की जायेगी या एजेंसी द्वारा यदि इंश्योरेंस कराया जाता है तो यह जवाबदारी संबंधित इंश्योरेंस कंपनी की होगी। इस संबंध में निविदाकर को विज्ञापन (पंजीयन व विनियमन) उपविधि 2012 के निर्धारित प्रारूप में वचनबन्ध 50 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर हस्ताक्षर कर नोटराईज्ड कराकर, अनुबंध के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
17. पायलॉन बोर्ड स्थापित करने के उपरांत समस्त आवश्यक संधारण का कार्य निविदाकार को स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष करना होगा तथा प्रतिवर्ष संधारण कार्य करने की जानकारी देना होगा।
18. पायलॉन बोर्ड में विद्युत कनेक्शन हेतु सफल निविदाकार एजेंसी को अनापत्ति पत्र दिया जा सकेगा। विद्युत कनेक्शन निविदाकार को स्वयं के व्यय पर लेना होगा एवं देयकों का भुगतान उसे स्वयं करना होगा।
19. निविदा प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा पायलॉन बोर्ड स्थापित करने एवं उस पर प्रचार–प्रसार करने के अधिकार को बिना सक्षम स्वीकृति के किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी/फर्म को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।
20. नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही पायलॉन बोर्ड लगाना होगा। आवश्यकतानुसार स्थल परिवर्तन करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम, रायपुर को होगा।
21. अन्य दूसरें विभागों से अनुमति लेने की स्थिति में एजेन्सी स्वयं के व्यय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।
22. निविदाकार एजेंसी स्थापित पायलॉन बोर्ड में, शासन द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं एवं अश्लील विज्ञापनों का प्रदर्शन नहीं करेगा।
23. स्थापित पायलॉन बोर्ड को किन्ही कारणों से अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने की स्थिति में निविदाकार एजेंसी को स्वयं के व्यय से निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर स्थापित करना होगा।
24. निविदाकार किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय या नगरीय निकाय आदि में कालीसूची में दर्ज न हो ।
25. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।
26. अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा एफ.डी.आर. वापस कर दी जायेगी एवं जिसकी स्वीकृत होगी उनका एफ.डी.आर. निविदा अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार वापस की जावेगीं।
27. कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय पर नगर पालिक निगम, रायपुर मुख्यालय भवन के रूम नं. 311 स्थित नगर निवेश शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
28. निविदा दर जी.एस.टी. सहित माना जायेगा। इसके लिए अलग से जी.एस.टी. राशि एजेंसी के द्वारा देय नहीं होगा।

क्रमशः पृष्ठ 03

Scanned by CamScanner

29. पायलॉन बोर्ड की चौड़ाई किसी भी स्थिति में डिवाईडर की चौड़ाई से अधिक नहीं होना चाहिएं, ताकि अप्रिय घटना से बचा जा सके।
30. नगर पालिक निगम, रायपुर किसी भी प्रकार से किसी भी क्षति और हानि के लिए जिम्मेदार नही होगा और ना ही उससे ऐसी किसी क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकेगी।
31. पायलॉन बोर्ड में लगाये जाने वाले विज्ञापन बोर्ड की चौड़ाई एवं लम्बाई में बोर्ड के चारों ओर एक इंच चौडी रेडियम की पट्टी लगाना होगा।
32. स्वीकृत प्रत्येक मार्ग के प्रथम एवं अंतिम बोर्ड के नीचे अथवा ऊपर, स्थान निर्धारित कर, कार्यालय द्वारा जारी अनुमति का क्रमांक, दिनांक, एजेंसी का नाम, मोबाईल नम्बर एवं अनुमति वैधता की अंतिम तारीख लिखकर चस्पा करना अनिवार्य होगा अन्यथा अवैध बोर्ड मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।
33. स्वच्छता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था एवं जनहित में अथवा किसी प्रकार के न्यूसेन्स एवं विवाद की स्थिति में किसी भी पायलॉन बोर्ड को बिना कारण बताये 48 घंटे की सूचना देकर आयुक्त नगर निगम रायपुर द्वारा हटवाया जा सकेगा एवं हटाये जाने का व्यय अथवा इस पर होनी वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ती हेतु संबंधित विज्ञापन एजेन्सी जवाबदेय होगी।
34. एजेन्सी को केंन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों तथा नगर पालिक निगम के लागू व प्रचलित तथा समय–समय पर लागू किए जाने वाले नियमों, अधिनियमों, आदेश, निर्णय, संकल्पों का पालन करना होगा तथा भविष्य में लागू/अधिरोपित किए जाने वाले शुल्क, सरचार्ज इत्यादि का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा।
35. भुगतान संबंधी विवाद होने पर निगम द्वारा दर्शायी गई वसूली योग्य राशि पहले संबंधित एजेंसी को नगर निगम में जमा कराना होगा, तत्पश्चात् ही उनके पक्ष पर विचार किया जा सकेगा।
36. **निविदाप्राप्तकर्ता एजेंसी को किराए पर दिए लघु विज्ञापन बोर्ड (क्योस्क) की संख्या में से 5 (पांच) प्रतिशत बोर्डो पर एक वर्ष में न्यूनतम एक माह व अधिकतम तीन माह की अवधि के लिए, आयुक्त नगर निगम, रायपुर के निर्देशानुसार एवं अनुमोदन के अनुसार प्रचार–प्रसार सामग्री स्वयं के व्यय से फ्लेक्स बनाकर प्रदर्शित करना होगा।**
37. एक बार बोर्ड लग जाने के बाद बोर्ड की संरचना का विज्ञापन प्रदर्शित वाला क्षेत्र सामग्री/फ्लेक्स रहित (Uncovered) नही होना चाहिए, बिना विज्ञापन की अवधि के दौरान अथवा तेज हवा–बरसात या अन्य किन्ही कारणों से कटे–फटे फ्लेक्स/प्रदर्शित सामग्री इत्यादि को तत्काल बदलना होगा ताकि बोर्ड गंदा या भद्दा (Indecent) न दिखें।
38. विज्ञापन बुकिंग नहीं होने के समय बोर्ड पर ''मोर रायपुर'' का लोगो प्रदर्शित किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तो मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम द्वारा 15 दिनों का नोटिस दिया जाकर निविदा/अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम,
रायपुर

Scanned by CamScanner